इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मार्च 2023—फाल्गुन 19, शक 1944

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई—5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2023

क्र. 497—मप्रविनिआ—2023.— विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 42 धारा 61 तथा धारा 86 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा, निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023)

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :**

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 (जी–46, वर्ष 2023)"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य के राजपत्र में इनकी प्रकाशन तिथि से लागू होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में लागू होंगे।

2. **उद्देश्य :**

इन विनियमों का उद्देश्य हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में निर्बाध (खुली) पहुंच प्रभारों तथा अधिकोषण (बैंकिंग) प्रभारों हेतु निर्बाध खुली पहुंच के अवधारण की क्रियाविधि प्रदान करना है।

3. **परिभाषाएं :**

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) ;

(ख) **"अधिकोषण (बैंकिंग)"** से अभिप्रेत है ग्रिड में अन्तःक्षेपित हरित ऊर्जा जिसे हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आंकलित (क्रेडिट) किया जाकर अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति हेतु प्रभारों के साथ आहरित किया जा सके ;

(ग) **"अधिकोषण (बैंकिंग) चक्र"** से अभिप्रेत है अधिकोषण (बैंकिंग) के क्रियाशील होने की तिथि से प्रारंभ होने वाली तीन माह की निरन्तर अवधि बशर्ते वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संभाव्यता पर

निर्भर, जिस हेतु कारण लिखित में अभिलेखित किये जाएंगे, अधिकोषण (बैंकिंग) चक्र की अवधि को वित्तीय वर्ष के समापन पश्चात इसमें वृद्धि करने की पात्रता नहीं होगी तथा अधिकोषण (बैंकिंग) चक्र में वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा एक से अधिक बार वृद्धि नहीं की जा सकेगी ;

(घ) **"केन्द्रीय आयोग"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 76 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किया गया केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ;

(ङ) **"केन्द्रीय समन्वयन अभिकरण"** से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा हेतु एकल खिड़की हरित ऊर्जा खुली पहुंच प्रणाली को स्थापित तथा संचालन करने हेतु अधिसूचित किया गया केन्द्रीय समन्वयन अभिकरण (Central Nodal Agency);

(च) **"आयोग"** से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित किया गया मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(छ) **"दिवस पूर्व विपणन केन्द्र {Day Ahead Market (DAM)}"** से अभिप्रेत है एक विपणन केन्द्र जहां पावर एक्सचेंज(ों) पर दिवस पूर्व संविदाओं का लेन–देन संव्यवहार पर किया जाता है ;

(ज) **"जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel)"** से अभिप्रेत है ईंधन जैसे कि ऊर्जा के प्राथमिक स्त्रोत के रूप में कोयला, लिग्नाइट, गैस, तरल ईंधन या इनका संयोजन जिनका उपयोग ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में विद्युत के उत्पादन हेतु किया जाता है ;

(झ) **"हरित ऊर्जा (Green Energy)"** से अभिप्रेत है ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति, जल–विद्युत (हायड्रो) तथा संचायक (स्टोरेज) (यदि संचायक द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता हो) या अन्य कोई प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हुए जैसा कि भारत सरकार द्वारा इसे समय–समय पर अधिसूचित किया जाए तथा इसमें विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन) नियम, 2022 के नियम चार के उपनियम (2) के खण्ड (छ) के प्रावधानों के अनुसार हरित हायड्रोजन अथवा हरित अमोनिया को सम्मिलित करते हुए किसी क्रियाविधि को भी सम्मिलित किया जाएगा जिसके द्वारा हरित ऊर्जा का उपयोग जीवाश्म ईंधनों को प्रतिस्थापित करने हेतु किया जाता है ;

(ञ) **"हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसकी 100 किलोवाट की संविदाकृत (contracted) मांग या स्वीकृत भार अथवा इससे अधिक या अन्य कोई सीमा जैसा कि आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के साथ इस बारे में समय–समय पर निर्दिष्ट किया जाए, केवल आबद्ध (केप्टिव) उपभोक्ताओं को छोड़कर, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन हरित ऊर्जा स्त्रोतों से उनके स्वयं के उपयोग हेतु किसी अनुज्ञप्तिधारी अथवा शासन द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा जो आमजन को विद्युत आपूर्ति व्यवसाय में सन्निहित हो या फिर जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विद्युत की आपूर्ति की जा रही हो तथा इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को भी सम्मिलित किया जाएगा जिसका परिसर तत्समय हरित ऊर्जा की प्राप्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी के कार्यों, शासन या किसी व्यक्ति से, यथास्थिति, संयोजित हो ;

(ट) **"नियम 2022"** से अभिप्रेत है विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा संवर्धन) नियम 2022 एवं अनुवर्ती संशोधन :

(ठ) **"नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत"** से अभिप्रेत जल–विद्युत (हायड्रो), पवन, सौर, जैव–भार (बाओमास), जैव–ईंधन (बाओफ्यूल), जैव–गैस (बाओगैस), बगास (bagasse), अपशिष्ट, नगरपालिक तथा ठोस अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए भूतापीय (geothermal), ज्वारीय (tidal), महासागरीय के प्रकार या इनका संयोजन, संचायक (स्टोरेज) के साथ या उसके बगैर भी तथा ऐसे अन्य स्त्रोत, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाएं :

(ड) **"आपातोपयोगी प्रभार (Standby Charges)"** से अभिप्रेत है, (हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के विरूद्ध अधिरोपित प्रयोज्य प्रभार, यदि हरित ऊर्जा (खुली) पहुंच उपभोक्ता ऐसे विद्युत उत्पादन स्त्रोतों से जिनके साथ उनके द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु अनुबन्ध निष्पादित किये गये हों, विद्युत उत्पादन, पारेषण व्यवस्थाओं में व्यवधानों (outages), तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से भी विद्युत की अधिप्राप्ति/अनुसूचीबद्ध करने में सक्षम न रह पाते हों।

(2) इन विनियमों में उपयोग किये गये शब्द तथा अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु अधिनियम, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC), मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (MPEGC) या समुचित

आयोग के किसी अन्य विनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ रखेंगे जैसा कि अधिनियम या भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता या म.प्र. विद्युत ग्रिड संहिता या आयोग के किसी अन्य विनियम में, यथास्थिति, इस हेतु समनुदेशित किया गया हो।

4. विस्तार क्षेत्र

ये विनियम इन विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (1) के अधीन परिभाषित नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की निर्बाध (खुली) पहुंच को अनुज्ञेय करने हेतु लागू होंगे।

अध्याय 2

हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच प्रभार

5. हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु प्रभार (Green Energy Open Access Charges)

हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर लागू प्रभार निम्नानुसार होंगे :

क. पारेषण (ट्रांसमिशन) प्रभार ;

ख. चक्रण (व्हीलिंग) प्रभार ;

ग. प्रतिराज्यानुदान अधिभार (क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज) ;

घ. अतिरिक्त अधिभार ;

ङ. आपातोपयोगी प्रभार (Standby Charges) जहां कहीं भी वे प्रयोज्य हों ;

च. अधिकोषण (बैंकिंग) प्रभार जहां कहीं भी वे प्रयोज्य हों ; और

छ. समुचित आयोग के सुसंबद्ध विनियमों के अनुसार प्रयोज्य अनुसूचीबद्ध शुल्क (शेड्यूलिंग फी)/राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी)/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आरएलडीसी) प्रभार तथा विचलन प्रभार ।

6. पारेषण प्रभार (ट्रांसमिशन चार्जेस)

क) अन्तर्राज्यीय (inter-state) पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु : केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किये गये अनुसार हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर ये प्रभार अधिरोपित किये जाएंगे।

ख) राज्यान्तरिक (intra-state) पारेषण प्रणाली के उपयोग हेतु : आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित किये गये अनुसार बहुवर्षीय विद्युत–दर (MYT) पारेषण विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों में अवधारित किये गये अनुसार हरित

ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर ये प्रभार अधिरोपित किये जाएंगे:

परन्तु यह कि जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु एक समर्पित पारेषण प्रणाली का निर्माण किया गया हो तथा इसका उपयोग किसी निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता के विशेष प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा हो वहां ऐसी समर्पित प्रणाली हेतु पारेषण प्रभारों की गणना पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी तथा इसे आयोग से अनुमोदित कराया जाएगा। जब तक इसकी अधिशेष (surplus) क्षमता, यदि कोई हो, अन्य व्यक्तियों द्वारा अथवा अन्य प्रयोजनों हेतु आवंटित न कर दी जाए, इस प्रकार के सम्पूर्ण प्रभार पूर्णतया ऐसे खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा वहन किये जाएंगे :

परन्तु यह और कि अन्य निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को इस प्रकार की अधिशेष क्षमता के आवंटन पश्चात् निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं के मध्य प्रभार कुल आवंटित क्षमता के अनुपात में वहन किये जाएंगे :

परन्तु यह और भी कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार की अधिशेष क्षमता का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करने के पश्चात् प्रभारों को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग की गई अधिशेष क्षमता की सीमा तक कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि विद्युत उत्पादक द्वारा निर्मित समर्पित तन्तुपथ (लाइनें) {जैसा कि इन्हें अधिनियम की धारा 2(16) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है} हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति हेतु उपयोग किये जा रहे हों तो पारेषण प्रभार लागू न होंगे :

परन्तु यह और भी कि पारेषण प्रभारों के अतिरिक्त राज्यान्तरिक पारेषण हानि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु इच्छुक उपभोक्ताओं को लागू होगी जैसा कि इसे मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) द्वारा समय–समय पर प्रयोज्य विनियमों के अनुसार अवधारित तथा अधिसूचित किया जाए।

7. **चक्रण प्रभार (व्हीलिंग चार्जेस) :** हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर चक्रण प्रभार अधिरोपित किये जाएंगे जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर जारी खुदरा आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में अवधारित किया जाए :

परन्तु यह कि जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी निर्बाध (खुली) पहुंच हेतु एक समर्पित वितरण प्रणाली का निर्माण किया गया हो

तथा इसका उपयोग किसी निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता के विशेष प्रयोजन हेतु किया जा रहा हो वहां ऐसी समर्पित प्रणाली हेतु चक्रण प्रभारों की गणना वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाएगी तथा इसे आयोग से अनुमोदित कराया जाएगा। जब तक इसकी अधिशेष (surplus) क्षमता अन्य व्यक्तियों अथवा प्रयोजनों हेतु आवंटित न कर दी जाए इस प्रकार के प्रभार पूर्णतया खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा वहन किये जाएंगे :

परन्तु यह और कि अन्य निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं को इस प्रकार की अधिशेष क्षमता के आवंटन पश्चात् हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं के मध्य प्रभार कुल आवंटित क्षमता के अनुपात में वहन किये जाएंगे ;

परन्तु यह और भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रकार की अधिशेष क्षमता का अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग करने के पश्चात् प्रभारों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग की गई अधिशेष क्षमता की सीमा तक कम कर दिया जाएगा ;

परन्तु यह और भी कि यदि विद्युत उत्पादकों द्वारा निर्मित समर्पित तन्तुपथ (लाइनें) {जैसा कि इन्हें अधिनियम की धारा 2(16) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है} निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति हेतु उपयोग किये जा रहे हों तो चक्रण प्रभार लागू न होंगे ;

परन्तु यह और भी कि चक्रण प्रभारों के अतिरिक्त, चक्रण हानि (wheeling loss) आयोग द्वारा समय–समय पर अवधारित तथा जारी खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के अनुसार हरित ऊर्जा खुली पहुंच हेतु इच्छुक उपभोक्ताओं को लागू होगी।

8. **प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Cross Subsidy Surcharge)** : हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर प्रतिराज्यानुदान अधिभार अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा उसके खुदरा विद्युत–आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में समय–समय पर अवधारित किया जाए :

परन्तु यह कि पारेषण तथा चक्रण प्रभारों के हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता को निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से माह के दौरान आहरित की गई वास्तविक ऊर्जा पर प्रयोज्य प्रतिराज्यानुदान अधिभार का भुगतान करना होगा। अधिभार का भुगतान खुदरा विद्युत आपूर्ति प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा जिससे इच्छुक द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच से पूर्व विद्युत–आपूर्ति प्राप्त की जा रही थी :

परन्तु यह और कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा हरित ऊर्जा की प्राप्ति अपने स्वयं के उपयोग हेतु आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र के रूप में की जा रही हा तो उसपर प्रतिराज्यानुदान (क्रॉस सब्सिडी) अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता द्वारा गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित अपशिष्ट–से–ऊर्जा (Non-Fossil fuel Waste-to-Energy) संयन्त्र से विद्युत प्राप्त की जा रही हो तो प्रतिराज्यानुदान (क्रास सब्सिडी) अधिभार प्रयोज्य न होगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से आहरित हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादन हेतु किया जाता है तो प्रतिराज्यानुदान अधिभार प्रयोज्य न होगा :

परन्तु यह और भी कि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता जो हरित ऊर्जा का क्रय नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन संयन्त्र के माध्यम से करता हो तो उसके लिये उक्त वर्ष हेतु जिसके अन्तर्गत उसे निर्बाध (खुली) पहुंच को स्वीकार किया गया हो के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों का उपयोग करने वाले विद्युत उत्पादन संयन्त्र के क्रियाशील होने की तिथि से बारह वर्ष की अवधि के दौरान निर्धारित किये गये प्रतिराज्यानुदान अधिभार में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि प्रतिराज्यानुदान अधिभार की राशि विद्युत प्रदाय की औसत लागत के 20 प्रतिशत से अधिक न होगी।

9. **अतिरिक्त अधिभार (Additional Surcharge)** : हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त अधिभार अधिरोपित किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा उसके खुदरा विद्युत–आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में समय–समय पर अवधारित किया जाए :

परन्तु यह कि पारेषण प्रभारों, चक्रण प्रभारों तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार के अतिरिक्त हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता को निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से माह के दौरान आहरित की गई वास्तविक ऊर्जा पर अतिरिक्त अधिभार का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त अधिभार की राशि का भुगतान प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा जिससे इच्छुक उपभोक्ता द्वारा निर्बाध (खुली) पहुंच से पूर्व विद्युत–आपूर्ति प्राप्त की जा रही थी :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा स्थाई (fixed) प्रभारों का भुगतान किया जा रहा हो तो उन्हें अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य न होंगे :

परन्तु यह और भी कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा हरित ऊर्जा की प्राप्ति अपने स्वयं के उपयोग हेतु आबद्ध (केप्टिव) विद्युत उत्पादन संयन्त्र के रूप में की जा रही हो तो ऐसे अतिरिक्त अधिभार को अधिरोपित नही किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता द्वारा गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित अपशिष्ट–से–ऊर्जा (Non-Fossil fuel Waste-to-Energy) संयन्त्र से विद्युत प्राप्त की जा रही हो तो अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य न होगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच के माध्यम से आहरित हरित ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन तथा हरित अमोनिया के उत्पादन हेतु किया जाता है तो अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य न होगा :

परन्तु यह और भी कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता को हरित ऊर्जा की आपूर्ति माह दिसम्बर, 2025 तक क्रियाशील की गई अपतटीय (off shore) पवन ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से की जाती है तो उसे अतिरिक्त अधिभार प्रयोज्य न होगा।

10. **आपातोपयोगी सुविधा तथा प्रभार (Standby Facility and Charges)** : हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता द्वारा आपातोपयोगी प्रभारों का भुगतान किये जाने पर आपातोपयोगी सुविधा प्रदान की जाएगी जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर जारी अपने खुदरा विद्युत–आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में अवधारित किया जाए :

परन्तु यह कि यदि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता ऐसे विद्युत उत्पादन स्त्रोत जिनसे उनके द्वारा अनुबंध निष्पादित किये गये हों के विद्युत उत्पादन में व्यवधान होने, पारेषण प्रणालियों में व्यवधान होने एवं समकक्ष परिस्थितियों के कारण विद्युत अधिप्राप्त /अनुसुचित करने में विफल रहते हों वहां उन्हें विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपातोपयोगी (Standby) व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी :

परन्तु यह और कि हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच व्यवस्था हेतु आपातोपयोगी प्रभार उक्त उपभोक्ता श्रेणी हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) के 25% से अधिक न होंगे :

परन्तु यह और भी कि आपातोपयोगी प्रभार (Standby Charges) हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच उपभोक्ता को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई आपातोपयोगी ऊर्जा पर प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) के अतिरिक्त होंगे :

परन्तु यह और भी कि ऐसे आपातोपयोगी प्रभार लागू न होंगे यदि हरित ऊर्जा (खुली) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा दिवस पूर्व विपणन केन्द्र {Day ahead Market (DAM)} के द्वार बन्द होने (Gate-closure) से पूर्व न्यूनतम एक दिवस की पूर्व सूचना (नोटिस) 'D-1' दिवस के भीतर प्रदान की गई हो जहां 'D' से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी का आपातोपयोगी प्रभार हेतु विद्युत–प्रदाय का दिवस।

11. बैंकिंग (अधिकोषण) सुविधा तथा प्रभार (Banking Facility and Charges)

क) हरित ऊर्जा खुली (निर्बाध) पहुंच का लाभ प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकोषण (बैंकिंग) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 'हरित ऊर्जा' विद्युत उत्पादन केन्द्र से प्राप्त की गई अधिशेष ऊर्जा को ऊर्जा निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा उसके स्वयं के परिसर में उसकी खपत पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी के खाते में अधिकोषित किया जा सकेगा।

ख) हरित ऊर्जा (खुली) निर्बाध पहुंच उपभोक्ता द्वारा अधिकोषित ऊर्जा (banked energy) का आहरण अनुसूचीकरण (scheduling)के अध्यधीन होगा।

ग) 'हरित ऊर्जा' विद्युत उत्पादन केन्द्र से ग्रिड की ओर ऊर्जा का अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन) भी अनुसूचीकरण (scheduling) के अधीन, मप्रविनिआ (पवन तथा सौर विद्युत उत्पादन केन्द्रों का पुर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन–व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित मामले) विनियम, 2018 में निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अध्यधीन किया जाएगा।

घ) बैंकिंग प्रभारों को प्रति माह कुल अधिकोषित की गई (banked) ऊर्जा के 8 प्रतिशत की दर से वस्तु (kind) के रूप में समायोजित किया जाएगा।

ङ) हरित ऊर्जा खुली (निर्बाध) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह अधिकोषित की गई ऊर्जा की अनुज्ञेय मात्रा हरित ऊर्जा खुली (निर्बाध) पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त की गई कुल मासिक खपत का न्यूनतम तीस प्रतिशत होगी।

च) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को बैंकिंग प्रभारों का भुगतान किये जाने पर अधिकोषण (बैंकिंग) को न्यूनतम मासिक आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह कि अधिकोषित की गई ऊर्जा (banked energy) के आकलन को अनुवर्ती अधिकोषण चक्रों (banking cycles) की ओर आगे बढ़ाये जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तथा इसे आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर आदेश में अवधारित किये गए उसी अधिकोषण चक्र के दौरान अव्यस्ततम अवधि (off-peak period) तथा व्यस्ततम अवधि (peak period) में अन्तःक्षेपित ऊर्जा के अनुसार समायोजित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि व्यस्ततम अवधि के दौरान अधिकोषित ऊर्जा को व्यस्ततम (peak) तथा अ–व्यस्ततम (off-peak) अवधि में 15 मिनट के समय खण्ड (time block) में आहरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा अ–व्यस्ततम अवधि के दौरान अधिकोषित की गई ऊर्जा के आहरण की अनुमति अ–व्यस्ततम अवधि के दौरान 15 मिनट के समय खण्ड में बैंकिंग प्रभारों के भुगतान के आधार पर प्रदान की जाएगी :

परन्तु यह और भी कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूल किये गये अधिकोषण प्रभारों (बैंकिंग चार्जेज) का समाधान जैसा कि इसका उल्लेख उपरोक्त खण्ड 10(घ) में किया गया

है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में क्रय की गई विद्युत की वास्तविक लागत के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार अधिकोषित ऊर्जा को लौटाये जाने हेतु तथा अतिरिक्त प्रभार, यदि कोई हों, के दावे हेतु अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के खुदरा विद्युत आपूर्ति विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु प्रस्तुत सत्यापन याचिका के साथ पृथक याचिका के माध्यम से किया जायेगा।

छ) प्रत्येक बैंकिंग चक्र के अन्त में अधिशेष अधिकोषित ऊर्जा जो उपयोग में न लाई जा सकी हो, को व्यपगत (lapsed) हो जाना माना जाएगा :

परन्तु यह कि नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन केन्द्र को, उक्त सीमा तक नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण–पत्र की पात्रता होगी।

12. अनुसूचीकरण शुल्क एवं विचलन प्रभार (Scheduling fees and Deviation Charges)

उपरोक्त उल्लेखित प्रभारों के अतिरिक्त, हरित ऊर्जा निर्बाध (खुली) पहुंच लाभार्थी उपभोक्ता को समुचित आयोग के सुसंबद्ध विनियमों के उपबन्धों के अनुसार आयोग द्वारा अवधारित किये गये निम्न प्रभारों का भुगतान भी करना होगा :

क) प्रयोज्य राज्य भार प्रेषण केन्द्र (SLDC)/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (RLDC) शुल्क एवं प्रभार, अनुसूचीकरण प्रभारों (Scheduling Charges) को सम्मिलित करते हुए

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा विचलन व्यवस्थापन प्रभार (RE-DSM)

अध्याय 3

विविध (Miscellaneous)

13. दिशा–निर्देश जारी करने की शक्ति

आयोग समय–समय पर ऐसे दिशा–निर्देश जारी कर सकेगा जैसा कि वे इन विनियमों के क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त समझे जाएं।

14. शिथिल करने की शक्ति

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् इन विनियमों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर शिथिल कर सकेगा।

15. संशोधन करने के अधिकार

आयोग समय–समय पर इन विनियमों के कतिपय उपबन्धों में परिवर्धन, परिवर्तन, निलम्बन, सुधार, संशोधन अथवा निरसन कर सकेगा।

16. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग किसी आदेश द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकेगा जो इन विनियमों अथवा अधिनियम के उपबन्धों के विरोधाभासी न होंगे जैसा कि आयोग को उचित प्रतीत हो तथा कठिनाई दूर करने में वांछनीय हों।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (हरित ऊर्जा खुली पहुंच उपभोक्ताओं के संबंध में खुली पहुंच प्रभारों एवं बैंकिंग प्रभारों के अवधारण की क्रियाविधि) विनियम, 2023 के हिन्दी रूपान्तरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकांता पांडा, सचिव.